भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 1331

उत्तर देने की तारीख : 09.02.2023

महिला उद्यमियों द्वारा चलाए जा रहे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम

1331. प्रो. अच्युतानंद सामंत:
श्री श्याम सिंह यादव:

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) ओडिशा और उत्तर प्रदेश में महिला उद्यमियों द्वारा चलाए जा रहे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) की संख्या कितनी है;

(ख) ओडिशा और उत्तर प्रदेश में महिलाओं के नेतृत्व वाले सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत संवितरित ऋण का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को जानकारी है कि वर्तमान में महिलाओं के नेतृत्व वाले सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को अपना व्यवसाय चलाने के लिए ऋण सुविधा प्राप्त करने के लिए किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और यदि हां, तो इन महिला उद्यमियों को सशक्त बनाने और महिलाओं के लिए व्यवसाय करने में आसानी के लिए कौन-कौन सी योजनाएं उपलब्ध हैं?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री

(श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा)

(क) : दिनांक 01.07.2020 से 07.02.2023 तक उद्यम पंजीकरण पोर्टल पर पंजीकृत ओडिशा और उत्तर प्रदेश में महिलाओं के स्वामित्व वाले सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) का विवरण नीचे दिया गया है:

क्र.सं.	राज्य का नाम	सूक्ष्म	लघु	मध्यम	कुल उद्यम पंजीकरण
1	ओडिशा	57,922	1,044	37	59,003
2	उत्तर प्रदेश	1,67,836	4,141	181	1,72,158

(ख) : ओडिशा और उत्तर प्रदेश में महिलाओं के स्वामित्व वाले एमएसएमई को सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी योजना के तहत दी गई वित्तीय सहायता का विवरण निम्नानुसार है :

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वित्त वर्ष 19-20		वित्त वर्ष 20-21		वित्त वर्ष 21-22		वित्त वर्ष 22-23 (22 दिसंबर तक)	
		संख्या	राशि (राशि करोड़ रुपये)	संख्या	राशि (राशि करोड़ रुपये)	संख्या	राशि (राशि करोड़ रुपये)	संख्या	राशि (राशि करोड़ रुपये)
1	ओडिशा	4,214	195.71	4,317	192.88	5,032	308.13	5,491	363.30
2	उत्तर प्रदेश	9,541	426.30	9,643	494.79	10,678	691.74	13,241	940.10

(ग) : सरकार ने महिला स्वामितव वाले उधमो सहित देश में एमएसएमई को सहायता प्रदान करने के लिए कई पहलें की हैं, जिनमें निम्न्लिखित शामिल हैं;

(i) एमएसएमई सहित व्यवसाय के लिए 5 लाख करोड़ रुपए का आकस्मिक क्रेडिट लाइन गारंटी योजना (ईसीएलजीएस)।

(ii) एमएसएमई आत्म-निर्भर भारत कोष के माध्यम से 50,000 करोड़ रुपए का इक्विटी समावेशन।

(iii) एमएसएमई के वर्गीकरण के लिए नया संशोधित मानदंड।

(iv) 200 करोड़ रुपए तक की खरीद के लिए वैश्विक निविदा नहीं होगी।

(v) व्यवसाय की सुगमता के लिए एमएसएमई हेतु "उद्यम पंजीकरण"।

(vi) एमएसएमई की शिकायत निवारण और सहायता प्रदान करने सहित ई-गर्वनेंस के कई पहलुओं को शामिल करते हुए जून, 2020 में "चैंपियंस" नामक एक ऑनलाइन पोर्टल की शुरुआत।

(vii) खुदरा और थोक व्यापारों को एमएसएमई के रूप में और साथ ही स्ट्रीट वेंडर्स को प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के ऋण का लाभ उठाने के रूप में समावेशन।

(viii) एमएसएमई की स्थिति में स्तरोन्नयन परिवर्तन के मामले में 3 वर्षों का गैर-कर लाभ का विस्तार करना।

(ix) अनौपचारिक माइक्रो एंटरप्राइजेज (आईएमई) को प्राथमिकता क्षेत्र ऋण (पीएसएल) के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए औपचारिक दायरे में लाने के लिए 11.01.2023 को उदयम असिस्ट प्लेटफॉर्म (यूएपी) का शुभारंभ।

(x) सार्वजनिक खरिद नीति के तहत महिला स्वामितव वाली एमएसई से खरीद के लिये 3% का प्रावधन

(xi) महिला स्वामितव वाली एमएसएमई को सहायता प्रदान करने हेतु "समर्थ" का शुभारम्भ

(xii) 01 दिसंबर, 2022 से प्रभावी महिला उद्यमियों का सहायता प्रदान करने के लिए" 10% गारंटी शुल्क की छूट और अन्य मामलों में 75% की तुलना में 85% की बढ़ी हुई गारंटी कवरेज को सूक्ष्म और लघु उद्यम के लिये क्रेडिट गारंटी योजना के तहत महिला उद्यमियों को दिए गए ऋण के संबंध में पेश किया गया है।

*****